राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त,जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/18–19/6527-36 दिनांक : 6/2/19

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
बांसवाडा।

विषय : सी.सी. सडक निर्माण कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।
संदर्भ : विकास अधिकारी, पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा का पत्रांक 32 दिनांक 01.02.2019 पर माननीय मंत्री महोदय, टीएडी द्वारा स्वीकृति जारी करने के निर्देश के कम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति तलवाडा जिला बांसवाडा के पत्रांक 32 दिनांक 01.02.2019 पर माननीय मंत्री महोदय, टीएडी द्वारा निम्नलिखित सी.सी सडक निर्माण कार्यो की स्वीकृति जारी करने के प्रदत्त निर्देशों एवं कार्यो की सक्षम स्तर से जारी तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नांकित कार्यो की कॉलम संख्या–5 में वर्णित राशि के अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी–ग्राम पंचायत

(राशि लाखो में)

क.स.	कार्य का नाम	पं.स.	तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि.	राशि
1	2	3	4	5
1	खंरजा/सी.सी सडक निर्माण राजेन्द्र से केवडिया स्कूल की ओर केवडिया उमराई	तलवाडा	1027/01.02.2019	10.00
2	खंरजा/सी.सी सडक निर्माण मईडा मोहल्ला बिलियाडूंगरी उमराई	तलवाडा	1028/01.02.2019	10.00
			योग	**20.00**

उपरोक्त कार्यो पर राशि का व्यय विशेष केन्द्रीय सहायता पूंजीगत मद अन्तर्गत आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में अन्य जिलो से प्राप्त अनटाईड बचत राशि 73.89 लाख में से होगा। विभाग द्वारा स्वीकृत राशि परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा हस्तांतरित की जा रही है।

परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा पी.डी. खाते मे उपलब्ध राशि मे से प्रथम किश्त संबंधित पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तांतरित करे।

कार्यो के संपादन मे निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे–

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें। **आर.सी.सी फेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जावें।**
4. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।

5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
6. कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा)I.A.S
आयुक्त

क्र. एफ–5 / अभि / सीटीएडी / मंत्री अनुशंषा / 18–19 / 6527–36 दिनांक : 1/2/19
प्रतिलिपी :–सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ठ सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) बांसवाडा को प्रेषित कर लेख है कि कृपया स्वीकृत कार्यो की नियमित मॉनिटरिंग हेतु संबधित अधिकारियो को निर्देशित करे।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता पूंजीगत मद अन्तर्गत आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में अन्य जिलो से प्राप्त अनटाईड बचत राशि 73.89 लाख में से 20.00 लाख परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, को हस्तान्तरित करे।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तलवाडा, जिला बांसवाडा ।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. गार्ड फाईल।

आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)